SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान

उमा पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग,
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार, गिरीडीह, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
उमा पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग,
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार,
गिरीडीह, झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/03/2022
Revised on : -----
Accepted on : 29/03/2022
Plagiarism : 02% on 22/03/2022

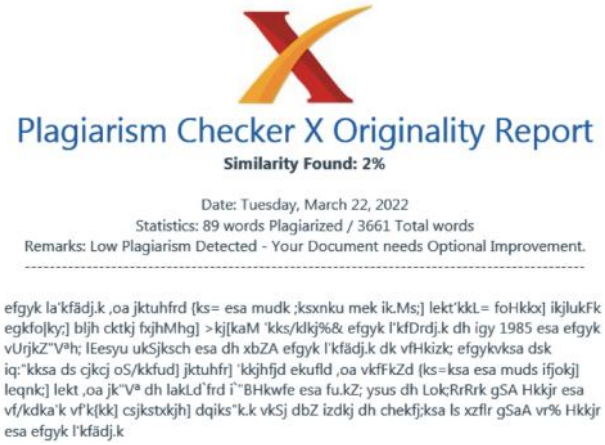
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

Date: Tuesday, March 22, 2022
Statistics: 89 words Plagiarized / 3661 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

efgyk la'kfädj.k ,oa jktuhfrd {ks= esa mudk ;ksxnku mek ik.Ms;] lekt'kkL= foHkkx] ikjlukFk egkfo|ky;] bljh cktkj fxjhMhg] >kj[kaM 'kks/klkj%& efgyk l'kfDrdj.k dh igy 1985 esa efgyk vUrjkZ"Vªh; lEesyu ukSjksch esa dh xbZA efgyk l'kfädj.k dk vfHkizk; efgykvksa dsk iq:"kksa ds cjkcj oS/kkfud] jktuhfr] 'kkjhfjd ekufld ,oa vkfFkZd {ks=ksa esa muds ifjokj] leqnk;] lekt ,oa jk"Vª dh lakLd`frd i`"BHkwfe esa fu.kZ; ysus dh Lok;RrRrk gSA Hkkjr esa vf/kdka'k vf'k{kk] csjkstxkjh] dqiks"k.k vkSj dbZ izdkj dh chekfj;ksa ls xzflr gSaA vr% Hkkjr esa efgyk l'kfädj.k

शोध सार

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौरोबी में की गई। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीति, शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तत्ता है। भारत में अधिकांश अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। अतः भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उददेश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि 50 प्रतिशत सामान्य तथा 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया रोग से पीडित है। 25 प्रतिशत बच्चों को माताएं कुपोषण के कारण प्रसव अवधि के पूर्व जन्म देती है। महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति निम्न होने का मुख्य कारण अशिक्षा, गरीबी, बेराजगारी, उत्पीड़न आदि है। हमारे समाज में पुरूष और स्त्री के महत्व, और रूतबे में काफी अन्तर रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तरों पर औरत को पुरूष से हीन और दुर्बल माना जाना रहा है। यह सोच महिलाओं में प्रति समाज के व्यवहार में झलकता है। लेकिन यह भी सच है कि पुरूष और स्त्री के बीच लम्बे समय से बनी हुई खाई को पाटने के सार्थक प्रयास हुए है और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए है। हमारे संविधान में महिलाओं को न केवल पुरूष के समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं बल्कि उन्हें परम्परागत बंधनों से मुक्त कराने के लिए विशेष रियायतों और प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में जागरूक

बनाने के प्रयास किए गए, परन्तु ये सभी प्रयास मुख्य रूप से महानगरों और शहरों तक सीमित है, लेकिन इन उपायों के प्रभाव से गांव लगभग अछूते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश महिलाएं सम्भवनाओं और क्षमताओं से युक्त होने के बावजूद सशक्तिकरण या अधिकार–चेतना से वंचित हैं। महिलाओं की स्थिति, योगदान और आगे बढ़ने की सम्भावनाओं के मूल्यांकन से स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी उपेक्षा का शिकार है।

मुख्य शब्द

समाज, अधिकार–चेतना, स्वायत्तता, जनगणना, लिंगानुपात, महिला–सशक्तिकरण.

प्रस्तावना

सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना है। पुरूष और महिला की सामाजिक स्थिति में अन्तर यो तो समूचे समाज में मौजूद है, किन्तु समाज में हालत बदतर है। शहरों में तो शिक्षा समाज सुधार आन्दोलनों और प्रचार–प्रसार माध्यमों के प्रभाव से महिलाओं में अपने अधिकारें के प्रति संवेदनशीलता बढ़ है जिससे उन्हें कुछ हद तक समानता एवं स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त है, परन्तु ग्रामीण समाज में औरत परिवार और समाज के शोषण का शिकार है। लडकियों का जन्म अशुभ माना जाता है और कुछ समुदायों में तो पैदा होता ही मार दिया जाता है। लड़को तथा लडकियों के लालन–पालन में भेदभाव के कारण लडकियों केा लडकों की तुलना में कम पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे व बचपन में ही अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती है या दुर्बलता के कारण अस्वस्थ्य रहती है। सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूरी, नशाखोरी आदि के प्रभाव से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से दबी रहती है।

गांवो में परिवार की आय में आधे से भी अधिक का भाग महिलाओं का रहता है, परन्तु उनके द्वारा किए गए काम को आर्थिक, गातिविधि मानने के बजाय सामान्य पारिवारिक दायित्व समझ जाता है। चौका, चुल्हा, बर्तन और बच्चों का पालने के साथ–साथ ग्रामीण बालिकाएं होश संभालने के समय से ही पशुपालन, ईधन बटोरने पानी लाने और खेत–खलिहान में काम करने लगती हैं और जीनवपर्यन्त करती रहती है, परन्तु इन सभी कामों को व्यवसाय के बजाय पारिवारिक कार्यो के रूप में मान्यता प्राप्त है जबकि पुरूष द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यवसाय माना जाना है। बुवाई से लेकर कटाई तक खेती–बाडी के सारे कार्यों में बराबर की भागीदारी होने पर भी महिलाओं को किसानों क दर्जा प्राप्त नही है। उन्हें वेतनरहित श्रमिक ही माना गया है। यह विडम्बना है कि काम–धंधों में सतत् सक्रिय रहने पर भी महिलाएं आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया पराश्रित हैं। इसके लिए दोषी हैं हमारा अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण।

भारतीय समाज में एक घृणास्पद सत्य यह है कि लड़की को जन्म से पूर्व, और विवाह के बाद मार डालने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू0एन0डी0पी0 की एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार मुम्बई में 1994 में भ्रुण हत्या के 40,000 मामले ज्ञात हुए। तमिलनाडु के छह जिलों में 1995 में एक अनुमान के आधार पर हत्या के 8,178 मामले हुए। इसके अलावा 1999 में एक अनुमान के आधार पर अकेले अहमदाबाद में प्रतिवर्ष मादा भ्रुण हत्या के 10,000 मामले होते हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कन्याओं की हत्या का प्रचलन। कहीं–कहीं दस हजार की आबादी वाले गांवों में युवा लड़कियों की संख्या महज पचास है। 1998 में राज्य का देओरा गांव उस समय अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, जब पिछले 115 सालों में पहली बार वहां लडकी की शादी हुई। इसके पहले 6 पीढियो को लड़कियों केा जन्म लेते ही मौत की नींद सुला दिया जाता था। युनिसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में पुरूष महिला अनुपात 100:105 है, जबकि भारत में यह अनुपात 100:93 तक आया है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति एक हजार पुरूषों के मुकाबले मात्र 933 महिलाएं थी।

अधिकतर गांवों में भ्रुण लिंग परीक्षण अभी तक नही पहुंची है, इसलिए कन्या भ्रुण केा तो नहीं मारा जाता, मगर पैदा हो जाने पर उसकी जान ले ली जाती है। यह अमानवीय कार्य कबसे जारी है इसका कोर्ट ठीक–ठाक प्रमाण नही मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं दाईयों को लड़के के जन्म कराने और लड़की की जान लेने के लिए बराबर

मेहलनताना दिया जाता है। पिछले दो दशकों से कन्या भ्रुण हत्या ने एक तकलीफदेह मोड़ ले लिया है। हरियाणा में लोग अपने लड़को के लिए दुल्हन दूसरे राज्यों से खरीद रहे है। कई ऐसा मामले भी प्रकाश में आऐ है, जिनमें एक ही महिला को कई भाईयों के साथ सम्बन्ध बनाने पर मजबूर किया जाता है। एक से छह वर्ष के बच्चों में लड़कियों का औसत और भी कम है। जनांकिकीय वक्ताओं का मानना है कि इस अनुपात के भयानक परिणाम आज से 20 वर्ष के बाद सामने आएंगें। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश के 14 राज्यों में 122 जिले ऐसे हैं, जहाँ छह साल की उम्र के 1000 लड़कों के बीच 900 लड़कियों है। कुरूक्षेत्र में मात्र 770 फतहगढ़ साहब पंजाब में सबसे कम सिर्फ 754 लड़कियां ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपेक्षाकृत सम्पन्न राज्यों में स्थिति चिन्ताजनक हैं। प्रति हजार पुरूषों पर पंजाब मे 793, हरियाणा में 820, चण्डीगंढ में 845, दिल्ली में 865, और गुजरात में 878 महिलाएं आंकी गई। देश में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां परिवार में बेटो को वरीयता न दी जाती हो। यहां तक यदि कोई महिला लड़की के विवाह के लिए भारी दहेज जुटाना मां–बाप के लिए समस्या होती है, अतः लड़कियों को बोझ समझ कर छुटकार पाना अधिक बेहतर समझा जाता है, इसके अलावा कन्याओं की हत्या करना एक बेंहतर विकल्म माना जाता है।

भारत में महिलाओं को समय से पहले मौत और शारीरिक अशक्ताता का खतरा उनके प्रजनन काल 15–45 के दौरान अधिक होता है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं की गर्भावस्था के कारण मृत्यु की सम्भावना कई गुना अधिक है। भारत में विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या है, जबकि मातृ मौत 20 प्रतिशत से भी अधिक है। कुपोषण बार–बार गर्भाधान, असुरक्षित गर्भ समापन, जननमार्गीय संक्रमण और यौन संचारित संक्रमण ये सब मिलाकर भारत में मातृ–मृत्यु दर को विश्व की उच्चतम दरों में रखते है। देश में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक महिलाएं गर्भधारण के कारण मर जाती है। मातृ–मृत्यु न केवल परिवार के लिए अतीव पीडा की बात है बल्कि सम्पूर्ण समाज के दीर्घकालीन संक्रमण, बांध्यता, गर्भधारण से अनावश्यक रूप से खून आना और नालग्रण फिस्टुला आदि के कारण आजीवन अपंगता का शिकार होना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली कुंछ पेचीदगियों का प्रभाव बच्चे पर भी पडता है, जिससे नवजात की मृत्युदर में बढोतरी, शिशुओ का समय से पहले जन्म, कम भार के नवजात शिशु का जन्म होता है। भारत में मातृ–मृत्यु के अनुपातों में अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्नता पाई जाती है

राज्यवार विभिन्नताओं से स्पष्ट है कि राज्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां आर्थिक स्थिति, अशिक्षा, बेहतर पोषण की कमी और स्वास्थ्य परिचर्या का अभाव आदि कारण है। जिनमें एक बडा कारण प्रसव के दौरान अधिक मात्रा में खून के वह जाने से जुडे है जो कुल मातृ–मृत्यु का 30 प्रतिशत है। खून के अधिक मात्रा में वह जाने और दूसरी तरफ माताओं में खून की कमी एनीमिक होने से यह हमला जानलेवा साबित होता है। दूसरा कारक पूतिता सेप्सिस की समस्या तब गम्भीर हो जाती है, जब प्रसव के समय गंदगी होती है अथवा यौन सम्बन्धों से जुडी हुई बीमारियों का इलाज नही करवाया जातां। इस वजह से 16 प्रतिशत जाचओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तीसरा विषरक्तता टेक्सीमिया से गर्भाकाल में उच्च रक्तचाम से पैदा होने वाली गड़बडियों के कारण अनेक उलझनों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से एक्लेम्पसिया झटका एठनों की वजह से 8 प्रतिशत से अधिक माताएं बेवजह मर जाती हैं, जबकि इन्हे टाला जा सकता है। भारत में 9 प्रतिशत से अधिक मातृ–मृत्यु का कारण अवरूद्ध प्रसव हैं। प्रसव के समय लम्बे अथवा रूक–रूक कर होने वाले दर्द के कारण बच्चे को गिराया जाता है। यह परेशानी उन माताओं को अधिक झेलनी पड़ती है जो कि कुपोषण की शिकार होती है। यह समस्या तब और विकराल रूप धारण कर लेता है। जब बचपन में ही बालिका की शादी कर दी जाती है। अनाड़ी तरीको से गर्भ गिराने के कारण भी कई माताओं की मौत हो जाती है। लगभग 9 प्रतिशत ऐसी मौतो को टाला जा सकता है। खून की कमी से प्रजनन योग्य महिलाओं पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। आधी से अधिक महिलाएं गर्भावस्था में खून की कमी से प्रभावित होती है। प्रत्येक चार मातृ–मृत्यु में से एक मातृ मौत गर्भावस्था में खून की कमी के कारण होती है।

लिंग अनुपात प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या है। आमतौर पर लिंग–अनुपात जैव वैज्ञानिक कारणों का परिणाम होता है। किन्तु अनुसंधानों से ये तथ्य सामने आए हैं कि जन्म के समय लड़को के बचने के अवसर

लड़कियों से कम होते है। परन्तु पिछले कुछ दशको के लिंगानुपात पर दृष्टि डालने से यह दर घटती हुई प्रवृति दर्शा रही है, जैसे कि 1911 में यह अनुपात 972 से घटकर 1981 में 934 तथा 1991 में 927 हो गया था। संतोषजनक स्थिति यह है कि 2011 में इसमें थोडा सुधार होकर 933 हो गया, जबकि लिंगानुपात का विश्व औसत 986 है। इसमें भी प्रादेशिक विभिन्नताएं है। देश के केवल केरल प्रान्त में अनुकूल लिंगानुपात दशकों कायम है जो 1981 में 1036 तथा 2001 में 1058 है, जो लगातार वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। सबसे आश्चर्यजनक स्थिति आर्थिक रूप से समृद्ध प्रान्तों की है जहां लिंगानुपात लगातार घट रहा है जैसे पंजाब 874, हरियाणा– 861, दिल्ली– 852, चण्डीगढ़– 773 एवं उतर प्रदेश– 868। सामाजिक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने उभर कर आया है कि जिन देशों में अनुकूल लिंगानुपात जैसे रूस– 1140, अमरीका– 1028, ब्राजील– 1027, नाइजीरिया– 1016 इत्यादि है वहां समाज में नारियों की स्थिति मजबूत एवं सम्मानजनक है। लिंगानुपात जैव– वैज्ञानिक घटना प्रतीत न होकर कन्या भ्रुण हत्या की तरफ इशारा करती है जो चिकित्सा विभाग में प्रौद्योगिकी जैसे अल्ट्रा साउंड, अमीनोसंटेसिस इत्यादि के द्वारा अंजाम दी जा रही है। इन तकनीकों से मां के गर्भ में ही बच्चे का लिंग का पता लगाया जा सकता है। लड़की हेाने की स्थिति में वह भ्रुण हत्या एबार्शन का शिकार हो जाती है। इस प्रकार तथा–कथित विकसित समाज द्वारा अजन्मी बालिकाओं के साथ कितनी घिनौनी दुष्कृत्यों द्वारा मौत का अंजाम दिया जा रहा है।

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है। महिला की आयु, परिवार में उपलब्ध कुल कृषि योग्य और आदि कृषि में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को अधिकार सम्पन्न एवं उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी है। महिला एक अवैतनिक की तरह समझी जाती रही है, जिसकी मेहनत और काम को आर्थिक नजरिए से कभी नही देखा गया। अतः उनकी अर्थोपार्जन को बढाने की आवश्यकता है। भारत में 11 करोड़ से ज्यादा बालिकाएं हैं जिनमें तीन करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की है। कृषि कार्य में लगी किशोरियों में 40 प्रतिशत व्यस्क होने से पहले ही विवाहित हो जाती है। अनुचित लालन–पालन, खानपान के फलस्वरूप 90 प्रतिशत किशोरियां रक्तहीनता की शिकार होने के कारण, कृषि क्षेत्र में इनकी भागीदारी परिवार सहायकों के रूप में रूप में किए गए कार्यो को जनगणना विभाग ने अनार्थिक कार्यो का दर्जा दिया है। जनगणना विभाग के अनुसार गृह कार्य भोजन पकाना चौका–बर्तन, घर की सफाई, बच्चों की पढाई, लालन–पालन, कपडों की धुलाई इत्यादि अनार्थिक कार्य है, परन्तु ये गृह कार्य वैतनिक कार्यों से कम नही है। कामगार के रूप में कुल महिला जनसंख्या का 31.7 प्रतिशत था, जबकि 1991 प्रतिशत 20.8 रह गया। उसी प्रकार 1901 में प्रति 1000 पुरूष मजदूरों की में स्त्री मजदूर 504 थीं, जो 1991 में घटकर 367 रह गई। सीमान्त मजदूर वर्ग की दृष्टि से 1991 में तीन–चौथाई महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या देश की कुल आबादी में जहां 1983 में 44 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2000 में घटकर 26 प्रतिशत रह गई। इन उत्साहवर्द्धक आंकडो के बावजूद देश में आज भी पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चें में से आधे कुपोषित जीवन व्यतीत कर रहे है। देश की कुल आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या 60 प्रतिशत है। देश में पैदा होने वाले कुल बच्चों में से 30 प्रतिशत शिशुओं का वजन सामान्य से कम होता है और प्रजनन आयु की महिलाओं में से 60 प्रतिशत खून की कमी की शिकार हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि नवजात शिशुओं का वजन सामान्य से कम होने के प्रमुख कारण उनकी माताओं मं खून की कमी का होना है। इसी वजह से देश में शिशु मृत्यु दर 77 और मातृ–मृत्यु दर 407 है। यूनिसेफ के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ लड़कियां जन्म लेती है जिनमें से एक तिहाई लड़कियां पहले वर्ष में ही दम तोड़ देती है। मां बनने योग्य महिलाओं में 24 प्रतिशत महिलाओं ऐसी है जिनका भार 36 कि0ग्रा0 से कम एवं प्रतिशत ऐसी है जिन का कद 145 से0मी0 कम है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का सबसे दुःखद पहलू घरेलू हिंसा है। घर की चार दीवारी के अन्दर ही हिंसा का ताण्डव रहता है, जिसको बाह्य संसार देख नही सकता। इस पर्दे के पीछे कई प्रंकार के कुकृन्य होते हैं, जिनको सुनना भी कर्णकटु है। एक अध्ययन के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक भारतीय विवाहित महिलाएं घरेलू

हिंसा झेलने को विवश है। शताब्दियों से भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में कुछ वर्ग शोषित रहे है। शोषण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली वर्गो के लोगों द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय नारी को भी शोषित के वर्ग में ही रखा जाना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। पुरूष वर्ग ने नारी को भोग की वस्तु समझ कर एक सोची–समझी रणनीति के तहत उन्हें नैसर्गिक अधिकारों से वचिंत करके वे सारे रास्ते बन्द कर दिए जो बौद्धिक विकास का मार्ग प्रकाश कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक सजग एवं स्वावलम्बी बना सकते थे। महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण।

छेड़छाड़ बलात्कार, यौन शोषण, सामाजिक अनविज्ञता और दहेज जैसी कुरीतियों के कारण महिलाएं असुरक्षा, शर्म व अपमान की वेदना में जीवन जी रही है। मानव संसाधन मंत्रालय के महिला व बाल विकास विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में छेड़छाड 26 मिनट में बदसलूकी तथा 102 में दहेज के कारण हत्या होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अध्ययन से पता चला है कि उत्तराखंड और सिक्किम के कई भागों में द्विपत्नी प्रथा आज भी खुले आम चल रही हैं। इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पुरूष द्वारा पहली पत्नी का त्याग सामान्य सी घटना हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण ये महिलाएं समाज और अपने मां बाप पर अपने आपकों अनावश्यक बोझ समझती है। दूसरी ओर देश भर में बलात्कार का जिन्न तेजी से फैल रहा है। पीडित महिला के प्रति कानूनी रवैया भी उसी गाति से संवेदनशून्य होता जा रहा है। इस अपराध की दोष सिद्धि दर लगभग 20 प्रतिशत है। अधिकांश दोषी पात्र संदेह के लाभ में बरी हो जाते है। इस कृत्य से जुडा लांछन कई बाद पीड़ित महिला का तथ्यों को उजागार न करने और यहां तक पुलिस रिकॉर्ड में दाखिल न करने के लिए विवश करता है। लगभग यही स्थिति दहेज के अपराधियों की है। 1995 में पूरे देश में दहेज हत्या के 7305 मामले पंजीकृत हुए थे जिनमें से हत्याएं अकेले उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर की पंजीकृत दहेज हत्याओं में दोष सिद्ध दर 25 से 30 के बीच थी जिसको किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नही कहा जा सकता । सबसे दुर्भाग्य पूर्ण हकीकत यह है कि शक के आधार पर की गई महिलाओं की हत्या के अनेक मामलों को छमाकरण द्वारा आत्महत्या प्रमाणित करने की चेंष्टा की जाती है।

युनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में बडें पैमाने पर लड़कियों की खरीद–फरोख्त चल रही है। भारत में अलग–अलग शैली में वैश्यावृति विद्यामान है, जैसे देवदासी, बासाकी और जोगिन। अनेक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजातियों की शोषित लडकियो सम्भावित वैश्यावृति की शिकार है। तरूण उम्र में राजनट कन्याओं की नीलामी समारोह का आयोजन कर बोली लगाई जाती है। इस समारोह में जो भी सबसे अधिक बोली लगाता हैं वह उसके कौमार्य पर अधिकार पा जाता है। परम्परागत रीति–रिवाज जो कि लड़की का यौवनावस्था में पदार्पण करने के बाद, इधर–उधर जाने से रोकते है तथा घर की चार दीवारी मे ही कैदी के रूप में रहने मजबूर कर देते है। लड़कियों को अपने भाई–बहनों की देखभाल के लिए घर पर ही रहने दिया जाता है तथा उसकी शिक्षा आदि के बारे में कुछ भी नही सोचा जाता है।

महिला शिक्षा का स्तर स्वंतत्रता पूर्व बहुत कम थी। स्वतंत्रता के 30 वर्षों बाद भी महिला साक्षरता दर 24. 8 प्रतिशत थी, जबकि 1951 में यह 7.9 प्रतिशत, 1961 में 13 प्रतिशत, 1971 में यह दर 18.7 प्रतिशत ही थी। 1991 में यह 39.3 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2011 में 54.16 प्रतिशत हो गई, जो पुरूष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत से कम है। परन्तु 1991–2011 के दशक में महिला साक्षरता में 14.8 प्रतिशत वृद्धि जबकि पुरूष साक्षरता में वृद्धि दर 11. 7 प्रतिशत ही हो पाई। उल्लेखनीय प्रगाति के बावजूद यह सच है कि आज भी 100 में 46 महिलांए अनपढ़ हैं। अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में अनपढ़ औरतों की संख्या इनसे भी अधिक है। इन सभी निरक्षर औरतों को साक्षर बनाने के लिए न केवल मौजूदा प्रयास जारी रखने होंगें, बल्कि इनमें और तेजी लानी हेागी। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नौतिक शाक्ति पैदा होती है। इसमें ग्रामीण शहरी एवं प्रादेशिक असमानताएं विद्यमान है। ग्रामीण साक्षरता दर 50 प्रतिशत है, जबकि शहरी एवं प्रादेशिक असमानताएं विद्यमान है। ग्रामीण साक्षरता दर 59 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता 80 प्रतिशत हो गई है। बिहार, मध्यस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय

औसत से भी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता दर केरल 91 प्रतिशत में, दूसरे स्थान पर मिजोरम 88 प्रतिशत– 48 प्रतिशत पूरे भारत में निम्नतम स्थान पर है। शिक्षा काफी हद तक शहरी, उच्च एवं मध्यम वर्गीय परिवारों तक सीमित है। उच्च शिक्षा में तीन प्रतिशत तक सीमित है। उच्च शिक्षा में तीन प्रतिशत लड़कियां है, लड़कियों के लिए कला संकाय सबसे अधिक आकर्षण का केन्द्र है। 1981 के बाद वाणिज्य, इंजीनियरिंग, आर्किटैचर, विधि, चिकित्सा संकायों में भी छात्राओं के लिए सुचना विज्ञान एवं कम्प्युटर महत्वपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र है। श्री निवास के अनुसार उच्च शिक्षा, विवाह–बाजार में शादी की इच्छुक लड़कियों के लिए प्रतीक्षा करने का एक सम्मानजनक स्थान है। शिक्षा प्राप्ति के बाद भी समाज में महिलाओं की निर्भरता पुरूषों से कम से कम नहीं हुई।

निष्कर्ष

महिलाओं को पूरी आजादी तभी मिल सकती है जब महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए और महिलाओं को पूरी आजादी तभी मिल सकती है जबकि वे संगठित होकर आन्दोलन करें तो इसमें लगभग सभी छात्राओं के विचार पक्ष में थे। महिलाओं को पूर्ण आजादी तभी मिल सकती है जब वे अधिकारों को प्रति जागरूक हों, इस बारे में सभी छात्राओं के दृष्टिकोण पक्ष में थे।

अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते है कि शिक्षा के कारण भारत की महिलाओं में जागरूकता आई है। स्नातक स्तर की छात्राओं के दृष्टिकोण और स्नातकोत्तर की छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि उनका सामाजिक परिवेंश समान है। समान परिस्थितियों में रहने का कारण विचारों के आदान प्रदान के प्रभाव से छात्राओं के शैक्षणिक स्तर दृष्टिकोणों को प्रभावित नहीं करते हैं।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, रामनाथ (2000) *भारतीय समाज, संस्थाएं और संस्कृति,* अटलांटिक पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
2. किशोर, राज (1994) *स्त्री के लिए,* जगह वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. अंसारी, एम0ए0 (2001) *राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी,*ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
4. मेहता, चेतन (1996) *महिला और कानून,* आशीष पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
5. शर्मा, रामनाथ (2000) *भारतीय समाज, संस्थाएं और संस्कृति,* अटलांटिक पब्लिर्शस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
6. रत्तु, कृष्ण कुमार (1998) *भारतीय समाजः चिन्तन और पतन,* पोइन्छर पब्लिशर्स, जयपुर।
7. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (1999) *भारत में सामाजिक परिवर्तन,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
8. भारत (2000), प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. श्रीवास्तव, सुध रानी (1999) *महिलाओं के प्रति उपराध,* कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
10. शर्मा, प्रज्ञा (2001) *भारतीय समाज में नारी,* पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
11. शर्मा राजेन्द्र कुमार (1996) *ग्रामीण समाजशास्त्र,* अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
12. *कुरूक्षेत्र,* मई 2000 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999) *भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति,* कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

****